

डॉ० राम मनोहर लोहिया
अवध विश्वविद्यालय
अयोध्या से
सम्बद्ध



सीताराम सिंह महाविद्यालय

साबुकपुर, अम्बेडकर नगर
30प्र0

विवरणिका
PROSPECTUS

*Course
Offerd*

B.A.

B.Sc.

B.Ed.

100 Sheet (Two Unit)

D.El.Ed

50 Sheet (One Unit)

**Session
2024-25**

प्रस्तावित विषय:- बी०ए०, बी०एस०सी०, बी०एड०, डी०एल०एड०

Contact Us: 7376677414, 9026166100, 7905991967

प्रबन्धक का सन्देश



शिक्षा सदैव मनुष्य और समाज को प्रबुद्ध करती रही है। यह एक ऐसा उपकरण है, जो किसी समाज और राष्ट्र का निरंतर शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक प्रगति में मदद करता है। मानव जीवन में शिक्षा की अहम भूमिका है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा व्यक्ति के जीवन को गौरवशाली आनन्दमय एवं आत्मनिर्भर बनाने का महत्वपूर्ण कड़ी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में समाज में यागेदान देने के विचार ने मुझे महाविद्यालय का सीपना करने के लिए प्रेरित किया और मुझे गर्व और खुशी महसूस हो रही है, कि संस्थान अपने लक्ष्यों का अच्छी तरह से प्राप्त कर रहा है। हमारा प्राथमिक लक्ष्य छात्रों में निर्धारित पाठ्यक्रम के अलावा भविष्य में जीवन के सामने आने वाले विभिन्न चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने की क्षमता विकसित करना है। वर्तमान समय सपनों और गलाकाट प्रतिस्पर्धा का समय है। जीवन में सफल व्यक्ति बनने के लिए जरूरत एक लक्ष्य तय करने, उसके सपने देखने और अपने सभी प्रयास करते हुए लगातार उसका पीछा करने की है। हमारा उद्देश्य छात्रों में उन गुणों और उत्साह को विकसित करना है, जो उन्हें गौरव के पथ पर ले जाए। मुझे यकीन है कि कॉलेज के शिक्षण/ गैर-शिक्षण कर्मचारी छात्रों के व्यक्तित्व को विकसित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे जिससे उनके सपने पूरे होंगे। मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि छात्र भी अनुशासन बनाए रखेंगे, अपने शिक्षकों, बड़ों का सम्मान करेंगे और जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे।

धन्यवाद

डॉ० रणविजय सिंह

प्रबन्धक

सीतारा सिंह महाविद्यालय
साबुकपुर, अम्बेडकर नगर

प्राचार्य का सन्देश



महाविद्यालय परिवार वर्तमान शैक्षिक सत्र 2024-25 में सभी नवागत छात्र-छात्राओं का स्वागत करती है।

यहाँ के जिज्ञासु विद्यार्थी के रूप में आप सभी ऐसी संस्था से सम्बद्ध हो रहे हैं, जो स्वस्थ सुसंस्कृत सच्चरित्र युवा मानस के सर्वांगीण विकास की कार्यशाला है। सह संस्थान सभी छात्र-छात्राओं के समग्र विकास हेतु तत्पर एवं प्रतिबद्ध है। महाविद्यालय पुस्तकीय के अतिरिक्त नैतिक मूल्यों उच्च मानवीय आदर्श तथा राष्ट्रीय विकास के अनुरूप शिक्षा, स्वास्थ्य एवं संस्कार संवर्द्धन का उत्कृष्ट परिवेश है। छात्र एवं छात्राओं को यहां पर भारतीय आदर्शों एवं नैतिक जीवन मूल्यों की शिक्षा प्रदान की जाती है। महाविद्यालय में स्तरीय स्वाध्याय हेतु पुस्तकालय एवं अध्ययन हेतु सुयोग्य एवं अनुभावी प्राध्यापक उपलब्ध है। सभी छात्र-छात्राएं इन सुविधाओं के अधिकाधिक को दूर करने वाला एवं प्रकाश प्रदान करने वाला होता है, परन्तु अज्ञान रूपी अन्धकार को सैकड़ों सूर्य एक साथ मिलकर भी दूर नहीं कर सकते। शिक्षक ज्ञान रूपी अमृत से परिपूर्ण उस क्लेश के समान है, जो जानामृत प्रदान करने बाद भी कभी रिक्त नहीं होता है। शिक्षक ज्ञान प्रदाता है। शिक्षक की महत्ता अपार है। अज्ञान रूपी अन्धकार को अपनी शिक्षा उपदेश अथवा ज्ञान के द्वारा दूर करने कारण की ऋषियों ने उसकी प्रशंसा की है। महाविद्यालय में छात्र एवं छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु उन्हें पाठ्यक्रमानुसार शिक्षित करने के साथ-साथ पाठ्येत्तर क्रिया-कलापों एवं अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक करने के लिए एस0सी0सी0 (आर्मी नवल) एवं विभागीय परिषदों के माध्यम से वर्तमान में स्वच्छता जल संरक्षण पर्यावरण संरक्षण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। जिसके फलस्वरूप छात्र एवं छात्राओं का ज्ञान संवर्द्धन होता है।

धन्यवाद

डॉ० राम जनम

प्राचार्य

सीतारा सिंह महाविद्यालय

साबुकपुर, अम्बेडकर नगर

विद्यालय के सामान्य निर्देश

महाविद्यालय आपका अपना है। इसकी अपनी विशिष्ट गरिमा, परम्पराएँ एवं मान्यताएँ हैं जिनकी रक्षा करना, पालन करना और सम्मान करना आपका परम कर्तव्य ही नहीं धर्म भी है। सदाचरण एवं सद्ब्यवहार से महाविद्यालय में सौहार्द का ऐसा वातावरण बनाये जिससे आपको प्राचार्य शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों से सहयोग एवं मार्ग दर्शन मिलता रहे। महाविद्यालय के भवन एवं सम्पत्ति के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प ले।

कार्यालय द्वारा प्रसारित सूचना में कोई परिवर्तन सम्भव नहीं है। प्राचार्य एवं अनुशासन समिति के तात्कालीन निर्णयानुसार महाविद्यालय की नियमालियों में संशोधन हो सकता है जिसकी सूचना निर्दिष्ट की जायेगी।

विश्वविद्यालय के मानक के अनुसार महाविद्यालय में प्रत्येक छात्र-छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। मानक के अनुरूप उपस्थिति नहीं होने पर विद्यार्थी को परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।

कार्यालय सामान्य निर्देश

कार्यालय सम्बन्धी निर्देश :-

1. छात्र-छात्राओं के लिए महाविद्यालय के कार्यालय और काउन्टर का समय प्रातः 10:30 बजे से सायं 3 बजे तक है।
2. सभी छात्र एवं छात्राएँ महाविद्यालय कार्यालय सम्बन्धी अपना कार्य काउन्टर के माध्यम से ही करेंगे तथा बिना आज्ञा लिए कार्यालय के अन्दर नहीं जायेंगे।
3. महाविद्यालय के सभी छात्र-छात्राएँ काउन्टर/लिपिक द्वारा अपना कार्य स्वयं ही करायेंगे, तथा परीक्षा फार्म, छात्रवृत्ति फार्म आदि स्वयं ही महाविद्यालय में आकर जमा करेंगे।

प्रवेश सम्बन्धी सामान्य नियम

सीताराम सिंह महाविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश, प्रवेश समिति की संस्तुति एवं अनुशासनाधिकारी की सहमति एवं प्राचार्य के अनुमोदन के बाद होता है। इस सन्दर्भ में कुछ सामान्य नियम निम्नांकित हैं:-

1. महाविद्यालय में प्रवेश के लिए सभी जाति, वर्ग एवं समुदाय लिंग तथा धर्म के लोगों का सामान्य अधिकार है।
2. महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रवेश आवेदन फार्म भरना अनिवार्य है, जिससे महाविद्यालय के सम्बन्धित काउंटर से सुबह 10:30 से 3:30 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।
3. प्रवेश के इच्छुक छात्र/छात्राओं को आवेदन फार्म पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक सूचनाओं एवं प्रमाण-पत्र के साथ अन्तिम तिथि से पहले कार्यालय में जमा करना होता है।
4. प्रवेश फार्म की जाँच प्रवेश समिति के समक्ष होती है। इसके बाद अभ्यर्थी यदि अर्ह पाया जाता है, तो उसके प्रवेश की संस्तुति प्रदान कर दी जाती है। अभ्यर्थी को कार्यालय में शुल्क जमा कर प्रवेश पूर्ण करने का निर्देश दिया जाता है।
5. प्रवेश के समय यदि कोई छात्र टी.सी. (स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र)/माईग्रेसन (प्रोविजनल प्रमाण-पत्र) / आवश्यक प्रपत्र नहीं लगाता है, तो 30 दिन के बाद उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा।

स्थानान्तरण परिस्थितियों केवल दो शर्तों पर सम्भव है:-

(क) प्राचार्य एवं विश्वविद्यालय की अनुमति पर।

(ख) स्वतः स्थानान्तरण की स्थिति पर।

महाविद्यालय द्वारा निर्धारित नियम शुल्क प्रक्रिया सम्पूर्ण विद्यार्थी पर एक साथ प्रभावी होगी।

पुस्तकालय सुविधा प्राप्त करने हेतु प्रत्येक विद्यार्थी का पुस्तकालय कार्ड लेना आवश्यक होगा।

महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम

क्र० सं०	कोर्स	योग्यता	अवधि	विषय
1	बी. ए. (कला संकाय)	इण्टरमीडिएट	3 वर्ष / 6 सेमेस्टर	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत गृहविज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र
2	बी. एस. सी. (विज्ञान संकाय)	इण्टरमीडिएट विज्ञान	3 वर्ष / 6 सेमेस्टर	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान

बी.एड. 100 Sheet (Two Unit)

डी०.एल.एड. 50 Sheet (One Unit)

संचालित पाठ्यक्रम का शुल्क विवरण

क्र० सं०	कोर्स	शुल्क विवरण वर्ष/ सेमेस्टर
1	बी०ए०- प्रथम वर्ष	5000/वर्ष
	बी०ए०- द्वितीय वर्ष	5000/वर्ष
	बी०ए०- तृतीय वर्ष	5000/वर्ष
2	बी०एस०सी० - प्रथम वर्ष	7000/वर्ष
	बी०एस०सी०- द्वितीय वर्ष	7000/वर्ष
	बी०एस०सी०- तृतीय वर्ष	7000/वर्ष

बी.एड.
प्रथम वर्ष - 51250/- एवं द्वितीय वर्ष - 30000/-

डी०.एल.एड.
प्रथम वर्ष - 41000/- एवं द्वितीय वर्ष - 41000/-

महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं

1. छात्राओं के लिए नि शुल्क बस को सुविधा।
2. महाविद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त क्लास रूम।
3. संकायवार अलग-अलग प्रयोगशालाओं और लैब की सुविधा।
4. महाविद्यालय में उत्तम सुविधाओं से युक्त पुस्तकालय एवं वाचनालय की सुविधा।
5. महाविद्यालय में बोटनिकल गार्डन की उपलब्धता।
6. महाविद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इण्डोर, आउटडोर (सभागार) आडिटोरियम।
7. महाविद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से खेल का मैदान।
8. महाविद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्मार्ट क्लास को व्यवस्था।
9. महाविद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त फ्री वाईफाई इण्टरनेट की सुविधा।
10. महाविद्यालय में चारों तरफ सी सी टी वी कैमरा को व्यवस्था।
11. महाविद्यालय में स्वच्छ पेयजल आर वो की व्यवस्था और आधुनिक सुविधाओं से युक्त जलपान गृह (कैंटॉन) को व्यवस्था।
12. महाविद्यालय में इण्टरनेट और कम्प्यूटर लैब को सुविधा।
13. महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार के खेल से सम्बन्धित सामानों की उपलब्धता।

पुस्तकालय एवं वाचनालय सम्बन्धी नियम

1. महाविद्यालय में सुसज्जित, सम्पन्न एवं समृद्ध पुस्तकालय तथा वाचनालय है इसमें दुर्लभ पुस्तके, संदर्भग्रंथ, शोधग्रंथ एवं पाठ्यपुस्तके पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। विभिन्न विषयों से सम्बन्धित पत्रिका 5 दैनिक सामाचार पत्र शोध पत्रिकाएँ तथा कई मासिक व साप्ताहिकपत्रिकाएँ भी आती है।
2. महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र/छात्रा को पुस्तकालय में प्रवेश रसीद की मूल प्रति दिखाकर प्रवेश लेने के 1 माह के अन्दर पुस्तकालय कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा। जिससे यथाशीघ्र वह पुस्तकालय से अपने विषय की उपयोगी पुस्तके प्राप्त कर के लाभान्वित हो सके।
3. छात्र/छात्रायें अपने पास एक सप्ताह से अधिक समय तक पुस्तक नहीं रख सकला/सकती है, तथा छात्र/छात्रायें एक बार में दो से अधिक पुस्तके प्राप्त नहीं कर सकता/सकती है।
4. छात्र/छात्रायें अपने पुस्तकालय कार्ड पर पुस्तक निर्गत होने एवं जमा होने की तिथि अवश्य अंकित करे।
5. निर्धारित समय सीमा से अधिक समय पुस्तके पास रखने पर उसे प्रति पुस्तक 1 रुपया प्रतिदिन विलम्ब शुल्क जमा करना होगा।
6. पुस्तकालय कार्ड खो जाने की दशा में छात्र/छात्रा प्रार्थना पत्र पर पुस्तकालयाध्यक्ष की आख्या व प्राचार्य की संन्तुति के उपरान्त कार्यालय में निर्धारित शुल्क रुद्र 50 मात्र जमा कर द्वितीय पुस्तकालय कार्ड प्राप्त कर सकता/सकती है।
7. पुस्तक खो जाने की दशा में छात्र/छात्रा को प्रार्थना पत्र पर पुस्तकालयाध्यक्ष की आख्या व प्राचार्य की संन्तुति के उपरान्त कार्यालय में पुस्तक का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
8. पुस्तकालय में पुस्तकालयाध्यक्ष के निर्देशो आदेशों का पालन करना अनिवार्य है।
9. अनुशासनहीनता की दशा में आपको महाविद्यालय नियमों के अधीन दण्डित किया जा सकता है।
10. पुस्तकों का सुरक्षित उपयोग छात्र/छात्राओं का नैतिक कर्तव्य है, पुस्तके कटी-फटी गंदी निशान लगी पायी जाने पर पुस्तक का वर्तमान मूल्य छात्र/छात्राओं से दण्डस्वरूप लिया जायेगा।

क्रीड़ा और शिक्षणेत्ता कार्यक्रम

महाविद्यालय के विद्यार्थियों के शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक विकास के लिए यहाँ बालीबाल, हाकी, फुटबाल क्रिकेट, बैडमिंटन, कबड्डी आदि खेल की सुविधा है।

महाविद्यालय की ओर से प्रतिवर्ष विभिन्न विषयों के छात्र/छात्रों के लिए शैक्षणिक पर्यटन की व्यवस्था की जाती है। विद्यार्थियों के कलात्मक रुचि, लेखन एवं अन्य गुणों के विकसीत करने के लिए महाविद्यालय में सांस्कृतिक परिषद का गठन किया गया है। जिसके द्वारा समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

महाविद्यालय की ओर से छात्र एवं छात्राओं को शिक्षणेत्तर एवं सह पाठ्यगामी क्रियाकलापों में अपनी अभिरुचि व प्रतिभा के अनुसार विविध प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना और रेड रिबन क्लब जैसे कार्यक्रमों में भाग लेने के अवसर भी छात्रों छात्राओं को उपलब्ध कराये जाते हैं। महाविद्यालय में क्रीड़ा की उचित व्यवस्था है। यहाँ क्रीड़ा सप्ताह मनाये जाने के साथ विभिन्न अन्तर महाविद्यालयी खेल-कूद के कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में अंतर-महाविद्यालयी वाद-विवाद व भाषण प्रतियोगिता के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ताकि छात्र एवं छात्राओं की अन्तर्मुखी प्रतिभा को निखरने का उपयुक्त मंच मिल सके।

छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश

महाविद्यालय समय समय पर जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप छात्रवृत्तिप्रदान करता है। जिसकी पात्रता पूर्ण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निम्नवत है

अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति दी जाती है शासन द्वारा सामान्य वर्ग पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति व जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए सम्बन्धित वेबसाईट पर आनलाईन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र की हार्ड कापी एवं जाति, निवास और आय प्रमाण -पत्र संलग्न करके निर्धारित समयावधि में महाविद्यालय में जमा करना होगा।

छात्रवृत्ति से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज दो प्रति में जमा करना होगा।

1. छात्रवृत्ति आनलाईन आवेदन की हार्ड कापी।
2. हार्ड स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
3. इण्टरमीडिएट की अंक पत्र-प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
4. गत वर्ष की अंक पत्र की छायाप्रति।
5. निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
6. जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति (OBC/SC/ST आवेदकों के लिए)
7. आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
8. बैंक पासबुक की छायाप्रति।
9. आधार कार्ड की छायाप्रति।
10. स्कोर कार्ड एवं एलोटमेन्ट लेटर की छायाप्रति (केवल बी0एड0 छात्र/छात्राएं)

अनुशासन सम्बन्धी नियम

1. सभी छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय परिसर में निर्धारित यूनिफार्म पहनकर आना अनिवार्य है। अन्य कोई ड्रेस पहनना वर्जित है।
2. महाविद्यालय परिसर में परिचय पत्र सदैव अपने साथ रखना अनिवार्य है।
3. महाविद्यालय परिसर में अनावश्यक इधर-उधर घूमना वर्जित है।
4. महाविद्यालय भवन एवं सम्पत्ति को नुकसान न पहुंचाये। दीवारों और फर्नीचरों को गंदा न करें। परिसर में पान मसाला, तम्बाकू, सिगरेट या किसी मादक पदार्थ का प्रयोग सर्वथा निषिद्ध है।
5. किसी कार्य के लिए स्वयं ही सम्बन्धित अधिकारी अथवा कर्मचारी से मिलें। इस हेतु किसी की सिफारिश या दबाव का प्रयोग न करें।
6. अगर कोई छात्र/छात्रा धूमपान करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही या अर्थदण्ड दोनों हो सकता है।
7. किसी भी छात्र/छात्रा को दो बार चेतावनी के बाद उसके द्वारा किये गये अशोभनीय क्रिया कलापों का चरित्र प्रमाण पत्र में अंकित कर दिया जायेगा।
8. कक्षा में मोबाइल फोन लेकर बैठना वर्जित है। निरीक्षण के दौरान पाये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही होगी।
9. महाविद्यालय में मारपीट करने / महाविद्यालय सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने जैसी घटना में लिप्त पाये जाने पर तत्काल महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।
10. प्रत्येक छात्र / छात्रा को महाविद्यालय में अपने साथ चयनित विषयों से सम्बन्धित आवश्यक पाठ्य सामग्री में लाना अनिवार्य है।
12. परिचय पत्र न होने पर विद्यार्थी महाविद्यालय से कोई प्रमाण पत्र या सुविधा नहीं पा सकेगा।
13. महाविद्यालय की विवरणिका में दिये गये नियम एवं विधि में किसी प्रकार के परिवर्तन तथा नये नियम एवं विधि लागू करने के समस्त अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित हैं, जिसे कानूनी रूप से किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
14. किसी विद्यार्थी द्वारा किये गये दुर्व्यवहार अनुशासनहीनता की प्रेरित एवं गुरुता के अनुरूप उसे निम्न में से एक या एक से अधिक दण्ड दिया जा सकता है।
 - (क) चेतावनी (ख) अर्थदण्ड (ग) वित्तीय एवं अन्य आवश्यकतानुसार सुविधाओं से वंचित किया जाना
 - (घ) निलम्बन (ङ) निष्कासन (च) निस्सारण (रेस्ट्रिकेशन) विशेष दण्ड देने में निर्धारित क्रम की बाध्यता नहीं होगी।

सूचनाओं का प्रदर्शन (नोटिस बोर्ड)

महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की गतिविधियों से सम्बन्धित सभी जरूरी सूचनायें महाविद्यालय के सूचना पट्ट एवं महाविद्यालय की वेबसाइट <https://www.sitaramsinghmahavidyalaya.org/> पर प्रदर्शित की जायेगी। छात्रों/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे सूचना पट्ट एवं महाविद्यालय की वेबसाइट <https://www.sitaramsinghmahavidyalaya.org/> पर प्रदर्शित सूचनाओं को नियमित रूप से पढ़ें तथा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करें।

